



61 5:41/4
"प्ररूप 26"

(नियम 4 क देखिए)

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
BAGALPUR & CO. BHAGALPUR



STAMP DUTY

00000

Rs. 0000020

375255

INDIA

**Zero*Zero*Zero*Zero*

BIHAR

BIHAR SI

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) 26 आगलपुर लोक सभा (सबन नाम के पल्ले)
निर्वाचन के लिये रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं सिद्धलाल तौती **पुत्र/पुत्री/पत्नी जलवारि मरसल

आयु 40 वर्ष, जो ग्राम-अमहारा पो-हरचंदी (रजौन)

थाना-रजौन जिला-बौसा

(डाक का पूरा पत्ता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निवारचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/कस्ती हूँ, शपथ रिजौन लिखित कथन करता हूँ/कस्ती हूँ :-

(1) मैं रिजौन (** राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ ** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 160 जोरिया डूजा विद्याल (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० 16

के कम सं० 283 पद प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं० 9661056919 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) सुख है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
----------	-----	-----	---	---

1	स्वयं	अ-अ	अ-अ	अ-अ
2	पति या पत्नी	अ-अ	अ-अ	अ-अ
3	आश्रित -1	अ-अ	अ-अ	अ-अ
4	आश्रित -2	अ-अ	अ-अ	अ-अ
5	आश्रित -3	अ-अ	अ-अ	अ-अ

- (5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभि्युक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।
यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभि्युक्त हैं तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना / जिला / राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/ है	शून्य

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं / है जिसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न }

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये संज्ञान लिया गया है	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिये फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास का दंडादेश दिया गया है / नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये सिद्धदोष ठहराया गया है	अन्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख(तारीखें)	अन्य
(ग)	अधिरोपित दंड	अन्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ हैं। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरों और वर्तमान प्रास्थिति	अन्य

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ।

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1—संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2—जंगम विनिधान की दशा में कम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक / संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।

टिप्पण 3—सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों / शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4—यहाँ 'अर्थ' का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5—रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिये जाने हैं।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	अश्रित-1	अश्रित-2	अश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	5,000/-	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	भारतीय स्टेट बैंक रकम-3096 1972/41 में 834/- केन ऑफ इंडिया अ/c-58131/0110082/6	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य
(iii)	कंपनियों / पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों / शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य

(V)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और श्रणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(VI)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(VII)	ज्वरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्योरे)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(VIII)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(IX)	समग्र कुल मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

आ. स्थावर आस्तियों ब्योरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	अश्रित-1	अश्रित-2	अश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	सर्वेक्षण संख्याक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1 बीघा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	4 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हॉ या नहीं)	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५
	विकास , सनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हॉ या नहीं)	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५
	विकास , सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूं :-

(टिप्पण : कृपया बैंक ,संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या शोध नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध: सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन / मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका / संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रय कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलि रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं शून्य

(ख) पति या पत्नी शून्य

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

(प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा/ डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था ,का ब्यौरा दें)

भाग -ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु० <u>सिकन्दर मोली</u>				
2	डाक का पता	<u>ग्राम-अमरगढ़ पो-हरचंदी जौन</u> <u>भाग-रजौन जिला बाँसा</u>				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<u>160 बौरेया अ. जा. विभाग एम</u> <u>(बिहार)</u>				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है(अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	<u>स्वतंत्र</u>				
5	(1) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आदेश विरचित किए गए हैं।	<u>शून्य</u>				
	(2) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने आदेश दिया है (उपर मद (1) उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त)	<u>शून्य</u>				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष से अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया है।(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा(1),उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	<u>शून्य</u>				
7	का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्थी	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>		
	(ख) पति या पत्नी	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>		
	(ग) आश्रित	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे(रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
ख	स्थावर आस्तियां					
	1. स्वअर्जित संपत्ति की कीमत	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>

	II.	कय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास /संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
		(क) स्वर्जित आस्तियां(कुल मूल्य)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
		(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
9		दायित्व	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	(i)	सरकारी शोध्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	(ii)	वैयक्तिक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण(कुल)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
	(ii)	वैयक्तिक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता: अपरम उरीणि महाविद्यालय आगरा					
		(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभियाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलें से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है:

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 05/04/2014 को सत्यापित किया गया।

Notarized by
Notary Public
Declared before me

स्थान और

अभिजात राजा
आध्यात्मिक
5/4/14

अभिजात
अभिजात
अभिजात

टिप्पण 1. शपथपत्र को नोटरी पब्लिक के अंतर्गत फाइल करने के अंतिम दिनांक 3:00 बजे अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकिक या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण-5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(c) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिये गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की सवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

" मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं.....9661056919.....

मेरा ई-मेल आईडी0 (अगर कोई हो) है.....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....

